

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 355/2018

किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री महावीर पुत्र बालूराम सुथार निवासी रडी का खेडा, दूदला तहसील बनेड़ा
	--प्रार्थी			--विपक्षी

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.01.2019	<p>:: आदेश ::</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम स्टेशननगर तहसील माण्डल की आराजी नं० 9478/7790 किस्म गै०मु०आबादी रकबा 0.0070 हेक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है।</p> <p>तहसीलदार माण्डल से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई, जिसके अनुसार ग्राम स्टेशननगर की आराजी नं० 9478/7790 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै०मु०आबादी ग्राम पंचायत संतोकपुरा के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी हितबद्ध को पट्टा जारी किया हुआ है। विपक्षी की 7.5 मीटर गुणा 3 मीटर अर्थात् 22.50 वर्गमीटर भू-भाग अवाप्ताधीन है। अवाप्ताधीन भू-भाग पर निर्माण संरचना निर्मित हैं। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक माण्डल से प्राप्त की गयीं।</p> <p>अवाप्ताधीन भू-भाग परनिर्मित निर्माण संरचना के संबंध में प्रार्थी परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसे परियोजना निदेशक द्वारा स्वयं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सत्यापित एवं प्रमाणित किया हुआ है, प्रस्तुत किया है।</p> <p>विपक्षी हितबद्ध ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत संतोकपुरा द्वारा जारी पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर मुआवजा दिलवाने का</p>	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अनुरोध किया है।

अतः प्रार्थी परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन, तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट, राजस्व जमाबन्दी एवं हितबद्ध द्वारा प्रस्तुत पट्टे को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम स्टेशननगर की आराजी नं० 9478/7790 किस्म गै०मु० आबादी में से 0.002250 हेक्टर अर्थात् 22.50 वर्गमीटर भू-भाग एवं उस पर निर्मित निर्माण संरचनाओं का प्रतिकर विपक्षी के नाम निर्धारण करने का आदेश दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम स्टेशननगर)	9478/7790
2	अवाप्ताधीन रकबा	22.50 वर्गमीटर
3	किस्म भूमि	गै०मु०आबादी
4	हितबद्ध खातेदार	श्री महावीर पुत्र बालूराम सुथार निवासी रडी का खेडा, दूदला तहसील बनेड़ा
5	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गफीट)	390- रूपये
6	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	4196.40- रूपये
7	PWD के अनुसार ग्राम स्टेशननगर की शहरी सीमा से दूरी	6.80 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	94,419- रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 0-10 किमी पर 1.25 गुणा की दर से राशि	1,18,023- रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	2,13,204- रूपये
11	योग (9+10)	3,31,227- रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	3,31,227- रूपये
13	दिनांक 31.01.2018 से 09.01.2019 तक कुल 343 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	10,647- रूपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13)	6,73,101- रूपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	67,310- रूपये
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	6,05,791- रूपये

अक्षर छः लाख पांच हजार सात सौ इकरानवे रूपये मात्र

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फ़ैसल शमा की जावे।



(एल०आर० गुगरवाल)
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
 एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
 भीलवाड़ा